Gems 2022/10

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

नूर मोहम्मद बनाम राज0सरकार

किस्म मुकदमा:–अपील प्रकरण संख्या:– 10/2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
.02.2022	आज यह पत्रावली अपीलांट द्वारा जरिये वकील यह अपील प्रस्तुत करने पर पेशी में ली गई। अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। प्रकरण में अपीलांट के अधिवक्ता की स्थगन प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। वकील अपीलांट ने बहस में स्थगन प्रा.पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि अपील का निस्तारण होने में समय लगना संभावित है। उत्तरवादी, अपीलांट को अपीलाधीन भूमि से बेदखल करने पर आमादा है। यदि उत्तरवादी ने अपीलांट को अपीलाधीन भूमि से बेदखल कर दिया तो अपीलांट को अपूरणीय क्षति होगी। अतः अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय की क्रियान्विति स्थगित रखने तथा अपीलाधीन भूमि चक 1 एच.डब्ल्यू.डी. प.नं. 214/60 कि.नं. 1 ता 25 की 25.00 बीघा भूमि की मौका एवं रिकार्ड की यथा स्थिति बनाये रखने के आदेश प्रदान किये जावे। वकील अपीलांट की स्थगन बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अपीलांट द्वारा उक्त अपील तहसीलदार सूरतगढ़ के निर्णय दिनांक 28.01.22 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। पत्रावली में संलग्न दस्तावेज अनुसार अपीलांट ने उक्त भूमि पर पुराना कब्जा होना बताते हुए नियमन कराने हेतु आवंटन अधिकारी के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। यदि अपीलांट को अपीलाधीन भूमि से उत्तरवादी द्वारा बेदखल कर दिया गया तो अपीलांट को अपूरणीय क्षति होगी,मुकदमेबाजी बढ़ेगी तथा अपील का मकसद समाप्त हो जायेगा। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात तथा अपील के संलग्न स्थगन प्रा.पत्र मय शपथ पत्र पर प्रथम दृष्टया विश्वास करते हुए उत्तरवादी को जरिये स्थगन पाबन्द किया जाता है कि वह अपीलाधीन भूमि वाके चक 1 एच.डब्ल्यू.डी. प.नं. 214/60 कि.नं. 1 ता 25 की 6.325 हैक्टर भूमि की आगामी तारीख पेशी तक मौका एवं रिकार्ड की यथा स्थिति बनाये रखे। अधिनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया जावे। अपीलांट तलबी उत्तरवादी हेतु आज ही रजिस्टर्ड समन प्रस्तुत करें। पत्रावली दिनांक 21-3-2022 को पेश हो। (कमला अलारिया) अतिरिक्त जिला कलक्टर) सूरतगढ़ अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ (श्रीगंगानगर)	
21/3/22	ADM साहब अन्य कार्यों में व्यस्त है, पत्रावली पूर्व आदेशानुसार आगामी दिनांक 16-5-22 को पेश हो।	
16/5/22	पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलांट हाजिर। पूर्व आदेशों की पालना में रेस्पो० को (धारा 30) सम्मन जारी होकर व अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मंगवाने हेतु पत्र जारी होकर पत्रावली दि 08-7-22 को पेश हो	
-22	पत्रावली पेश हुई। पूर्व निर्धारित प्रत्येक बृहस्पतिवार कैम्प कोर्ट अनूपगढ़ का दिन शुक्रवार निर्धारित किये जाने पर पत्रावली दिनांक 29-8-22 को पेश हो। चूंकि पीठासीन अधिकारी अनुपगढ़ कैम्प कोर्ट पधारे हैं।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanhaiya Lal Songara
Date: 2024.08.30 11:48:13 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

फर्द अहकाम

मिसल नं. ....
दिनांक ....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुये
28-5-24	बार संघ ने कार्य स्थगित रखा। ADM साहब ~~भ्रमण~~/अवकाश पर/~~अन्य कार्यों में व्यस्त है~~। पत्रावली दिनांक 8-7-24 को पेश हो।	
8-7-24	पत्रावली पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया पत्रावली वास्ते मजीद बहस दिनांक 10-7-2024 को पेश हो।	
10-7-24	पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष बहस सुनी गई। वकील अपीलांट ने प्रा. पत्र 1 R 10 CPC व 1 R 20 CPC पर कथन किया कि प्रार्थी कासम अली S/O मो. अली का किसी भी प्रकार का कब्जा चक 1 HWD के प.नं. 214/60 के 1 ता 25 पर नहीं है यदि प्रार्थी का कब्जा प.नं. 214/60 के कि.नं. 4 ता 6 / 0.759 है0 पर होता तो प्रार्थी के खिलाफ धारा 22 की कार्यवाही की जाती लेकिन ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। वकील प्रार्थी द्वारा प्रा. पत्र को ही अपनी लिखित बहस माना है। बहस उभयपक्ष सुनी गई। अपील का निस्तारण तकनीकी बिन्दुओं पर ना करके गुणावगुण के आधार पर किया जाना है अतः प्रा. पत्र 1 R 20 CPC व 1 R 10 CPC स्वीकार किया जाकर प्रार्थी को रेस्पोंडेंट संख्या 02 बनाने के आदेश दिए जाते है। रेस्पोंडेंट संख्या 02 कासम अली S/O मो. अली का अंकन लाल स्याही से अंकित किया जावे पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 12-8-2024 को पेश हो। अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ (जिला—श्री गंगानगर)	
12-8-24	पत्रावली पेश हुई। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 14-8-2024 को पेश हो।	
14-8-24	बार संघ ने कार्य स्थगित रखा। ~~ADM साहब~~ ... ~~कार्यों में व्यस्त है~~। पत्रावली दिनांक 21-8-24 को पेश हो।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanhaiya Lal Songara
Date: 2024.08.30 11:48:13 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

मिसल नं. ....
दिनांक ....

फर्द अहकाम

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहकाम की तारीख
21/8/24	बार संघ ने कार्य स्थगित रखा। ~~ADM साहब प्रवास/अवकाश पर/अन्य कार्यों में व्यस्त है।~~ अतः दिनांक 28-8-24 को पेश हो।	
28-8-24	पत्रावली पेश हुई। माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के पत्रांक LR/ निग/ 2024/5728/ गंगानगर/23/10/24/9214 दिनांक 12-8-2024 द्वारा यह पत्रावली माननीय मण्डल द्वारा तलब की गई है अतः उक्त आदेश की पालना में पत्रावली माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को प्रेषित की जावे, पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। उभय पक्ष को सूचित किया जावे।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanhaiya Lal Songara
Date: 2024.08.30 11:48:13 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner